न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>1. अपील संख्या 54/14</u> **निर्णय दिनांकः 06.08.2018**

1. खींयादेवी पत्नी श्री शेषकरण जाति चारण निवासी ग्राम गणेशवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।
2. खुदु खॉ पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मकेरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. सदीक खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम मकेरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. महादान जाति चारण निवासी चक 5 एमएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

<u>2. अपील संख्या 54/14</u>

1. खींयादेवी पत्नी श्री शेषकरण जाति चारण निवासी ग्राम गणेशवाली तहसील पूगल जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पूगल।
2. खुदु खॉ पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मकेरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
3. सदीक खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम मकेरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
4. महादान जाति चारण निवासी चक 5 एमएसएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–03–2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री जगदीश शर्मा, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री अनिल खीचड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 23–03–2002 जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम वरियता होते हुए भी वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम)1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि बाबत् अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व तीन अन्य आवेदकों द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 23–03–2000 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत

मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथव सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुॅचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा

आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि वादगत् भूमि चक 5 एम.ए.एस.एम. के मुरब्बा न म्बर 218/5 के विशेष आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदको द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा सभी आवदकों जिसमें अपीलांट भी शामिल थे को वादगत् भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आने का नोटिस जारी किये गये।

अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अपीलांट व अन्य आवेदकों के उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि चक 5 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 218/5 में 5 बीघा कमाण्ड व 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन आदेश जैर अपील के माध्यम से किया गया था। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि 53735/— जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत्

भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 14 वर्ष उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि चक 5 एमएसएम के मुरब्बा नम्बर 218/5 में 5 बीघा कमाण्ड व 20 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 23—03—2000 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही अपीलांट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया है। अतः अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ—साथ अन्य आवेदक महादान, उम्मेदसिंह व सदीक आदि ने भी अपने—अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये

गये थे। अदालत मातहत द्वारा उक्त तमाम प्रार्थना पत्रों की जॉच उपरान्त वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदकों को विधिवत नोटिस जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वांछित सबूत व 35 प्रतिशत राशि सहित उपस्थित आवें।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिसों के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वांछित सबूत यथा राजस्थान का मूल निवासी, आय का स्त्रोत आदि सहित उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त व अन्य आवेदकों के उपस्थित नहीं आने पर वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की वरियता कायम करते हुए विधि सम्मत तरीके से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जाकर वादगत् भूमि की खातेदारी भी प्राप्त की जा चुकी है। इसप्रकार वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

(5) प्रकरण में अपीलांट का यह कथन की अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रकरण में अपीलांट के आवंटन पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा जरिये नोटिस क्रमांक 153 दिनांक 10—03—2000 द्वारा अपीलांट को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया कि वे दिनांक 23—03—2000 को वांछित सबूत यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी कृषक प्रमाण पत्र, भूमि का प्रमाण पत्र, गत् बीस वर्षो से अधिक अधिवास का प्रमाणपत्र सहित उपस्थित आवें। यदि आप उपस्थित नहीं आये तो आपके आवेदन पत्र पर एकतरफा कार्यवाही की जाकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) अपीलांट निर्धारित दिनांक को ना तो अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया ना ही वांछित सबूत आदि अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के निर्धारित दिनांक को उपस्थित नहीं आने पर अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज करते हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उपस्थित आने पर वादगत्

भूमि का आवंटन विधि सम्मत तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

(7) प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 14 वर्ष उपरान्त उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलांट द्वारा मियांद को कण्डोन करने का मुख्य आधार अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किया जाना दर्शित किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया था। जिसकी प्रति अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त व ठोस कारण प्रस्तुत किये बिनाउक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाना न्यायकर नहीं होगा। अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर धोषित की जाती है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें गुणावगुण व मियांद के बिन्दु पर खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23—03—2000 यथावत बहाल रखे जाते हैं।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर